रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 219

No. 09] DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSA 23, 1935 [N.C.T.D. No. 219

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

सं.फा. 5(56)/2011-एसबी/आरआर/54.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.9.68 की अधिसूच सं.फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या फा. 5(56)/2005-एसबी/1620 के अनुसार अधिसूचित आचार्य (तकनीकी), सहा आचार्य (तकनीकी) और प्राध्यापक (लेक्चरर) (तकनीकी) तथा दिनांक 12 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या (56)2005-एसबी/173-179 के अनुसार अधिसूचित आचार्य (गैर तकनीकी), सहायक आचार्य (गैर तकनीकी) और प्राध्यापक (लेक्च (गैर तकनीकी) के पद के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, अब अम्बेडकर उच्च स्तरीय संचार प्रौद्योगिकी त अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के रूप में पुनः नामित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परा के पश्चात् अम्बेडकर उच्च स्तरीय संचार प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में आचार्य (तकनीकी), आचार्य (गैर तकनीकी), आचार्य (तकनीकी), सह आचार्य (गैर तकनीकी), सहायक आचार्य (तकनीकी) तथा सहायक आचार्य (गैर तकनीकी) के पद की भर्ती पद संबंधी नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

फा.सं.आईआईटीडी/जीए/एस्टेट/44/2013/70.–सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनिय 1971 की धारा 3 (क) तथा (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्र अरूण वर्मा, जी.एम. (सुविधाएं), आईआईआईटी, दिल्ली को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संपदा अधिकारी के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपा
के आदेश से और उनके नाम प

ए. के. गुप्ता, उप–निदेषक (सचिवालय षाख

F. IITD/GA/Estate/44/2013/70. —In exercise of the powers conferred under section 3 (a) and (b) of the Publ Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971, The Hon'ble Lt. Governor, Delhi is pleased to designate Sh Arun Verma, G.M (Facilities), IIIT, Delhi as Estate Officer of Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi f the purpose of the said Act.

By Order and in the name
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Dell

A. K. GUPTA, Dy. Director (Sectt. Branc

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.